मानव की भलाई के लिए आज निःशस्त्रीकरण के विचार का प्रबल समर्थक है। भारत की विदेश नीति आज भी लगभग वही है जो 1947 में थी। यद्यपि समयानुसार इसका कुछ विकास भी हुआ है, लेकिन विदेश नीति के मूल उद्देश्य आज भी वही हैं जो हमारे संविधान निर्माताओं ने निर्धारित किए थे। सरकारें बदलती रही हैं, लेकिन विदेश नीति का प्रवाह निरन्तर विकास की दिशा में रहा है। सारांश रूप में कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रादेशिक अखण्डता की रक्षा करना ही भारत की विदेश नीति का ध्येय है।

भारत की विदेश नीति के सिद्धान्त

(Principles of India's Foreign Policy)

(1) **गुट निरपेक्षता का सिद्धान्त (Principle of Non-Alignment) :-** गुटनिरपेक्षता का सिद्धान्त भारत की विदेश नीति का केन्द्र बिन्दु है। विश्व शान्ति, मैत्रीपूर्ण सहयोग तथा एकता के सिद्धान्तों की पूर्ति इसी सिद्धान्त से की जाती है। भारत की विदेश नीति का महत्वपूर्ण सिद्धान्त होने के नाते कई बार राजनीतिक विश्लेषक भारत की विदेश नीति को गुटनिरपेक्षता की नीति तक कह देते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के वातारवण से उत्पन्न यह गुटनिरपेक्षता का सिद्धान्त समकालीन अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की एक महत्वपूर्ण सच्चाई तथा भारतीय विदेश नीति की महत्वपूर्ण विशेषता है। सिद्धान्त का सार यह है कि यह सिद्धान्त हमेशा ही सैनिक गुटबन्दियों से दूर रहकर जागरुक मानसिकता के रूप में विश्वशान्ति को चुनौती देने वाली ताकतों का प्रबल विरोध करता रहा है। इस सिद्धान्त का सीधा अर्थ है-अमेरिकी तथा रूसी गुटों से अलग रहकर विश्व शान्ति के लिए प्रयास करना। भारत के प्रधानमन्त्री नेहरु ने 1947 में ही अपने देश की विदेश नीति के बारे में यह बात स्पष्ट कर दी थी कि भारत न तो पूंजीवादी गुट में शामिल होगा और न ही साम्यवादी गुट में, बल्कि इनसे दूर रहकर विश्वशान्ति के लिए ही प्रयास करता रहेगा। भारत ने सदैव अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति कायम रखने की दिशा में काम किया है चाहे उसे अमेरिका या रूस की आलोचना ही क्यों न सहन करनी पड़ी हो। भारत द्वारा गुटनिरपेक्षता को अपनी विदेश नीति का सिद्धान्त बनाने के पीछे अपना आर्थिक विकास, राजनीतिक स्वतन्त्रता व अक्षुण्ण सम्प्रभुता, विश्व शान्ति कायम रखना आदि उद्देश्य हो सकते हैं। गुटनिरपेक्षता की नीति के रूप में भारत की विदेश नीति को अवसरवादी, अलगाववाद, तटस्थता आदि कहकर भी आलोचना की गई, लेकिन भारत अपने आदर्श पर अड़िग रहा है। शीतयुद्ध के भयावह वातावरण, महाशक्तियों के दबाव जैसी परिस्थितियों में भी भारत ने इस नीति का त्याग नहीं किया है। एक सिद्धान्त के रूप में गुटनिरपेक्षता ने सदैव आंख मूंदकर कार्य नहीं किया है, बल्कि सही और गलत में भी अन्तर किया है। यद्यपि शीत युद्ध के अन्त के साथ ही भारतीय गुटनिरपेक्षता को अप्रांसांगिक माना जाने लगा है, लेकिन एक सिद्धान्त के रूप में यह आज भी भारत की विदेश नीति का महत्वपूर्ण अंग है।

(2) **पंचशील व शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व का सिद्धान्त (Principle of Panchsheel and Peaceful Co-existance) :-** भारत की राजनीतिक संस्कृति सभी बाहरी राष्ट्रीयताओं को आत्मसात् करने की प्रतीति रखती है। भारत की राजनीतिक संस्कृति में अहिंसावाद का गुण पाया जाता है। भारत 'जीओ और जीने दो' (Live and Let Live) के सिद्धान्त में विश्वास करता है। इसका स्पष्ट प्रभाव भारत की विदेश नीति पर देखा जा सकता है। भारत ने अहिंसा के सिद्धान्त को व्यावहारिक रूप देने के लिए अपने विदेश नीति में पंचशील और शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धान्त को प्रमुखता दी है। नेहरु जी ने 1954 में पंचशील सिद्धान्त को भारत की विदेश नीति का महत्वपूर्ण सिद्धान्त घोषित

किया था। भारत आज भी उसी सिद्धान्त का पालन करता है। ये पांच सिद्धान्त हैं : - (i) एक दूसरे की प्रादेशिक अखण्डता व स्वतन्त्रता का सम्मान करना, (ii) एकं-दूसरे पर आक्रमण न करना, (ii) एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, (iv) समानता के आधार पर एक-दूसरे को लाभ पहुंचाना तथा (v) शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व। इस पंचशील के आवश्यक पहलु के रूप में भारत शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धान्त में विश्वास रखता है। इसके पीछे अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण को शान्तिमय बनाए रखने का मूल कारण ही निहित है। भारत ने अपनी सुरक्षा, आर्थिक विकास, उपनिवेशवाद व रंगभेद के विरोध, संयुक्त राष्ट्र संघ में आस्था, मैत्रीपूर्ण विदेशी सम्बन्ध आदि उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पंचशील सिद्धान्त को ही अपनी विदेश नीति का महत्वपूर्ण सिद्धान्त अपनाया है।

(3) **उपनिवेशवाद तथा रंगभेद की नीति के विरोध का सिद्धान्त (Principle of the opposition to Colonalism and Policy of Apartheid)** :- भारत स्वयं भी उपनिवेशवाद और रंगभेद की नीति का दंश झेल चुका है। इसी कारण उसने अपनी विदेश नीति के सिद्धान्त के रूप में उपनिवेशवाद व रंगभेद की नीति के विरोध को प्रमुखता दी है। 1947 के बाद स्वतन्त्रता प्राप्त करने वाले सभी एशियाई व अफ्रीकी देशों की स्वतन्त्रता का भारत ने जोरदार समर्थन किया है। भारत ने लीबिया, इन्डोनेशिया, मलाया, चीन, धाना आदि देशों की स्वतन्त्रता की जोरदार अपील UNO में की थी। भारत आज भी यूरोपीय व अमेरिकी देशों द्वारा फैलाए जा रहे नव-साम्राज्यवाद का विरोध करता है। भारत ने समय-समय पर विदेशों में भारतीय व एशियाई-अफ्रीकी मूल की जनता पर हो रहे जातीय अत्याचारों का प्रबल विरोध किया है। भारत आज भी आर्थिक साम्राज्यवाद और रंगभेद की नीति के विरोध के रूप में अपनी विदेश नीति में इस सिद्धान्त को महत्व देता है।

(4) **विश्व शान्ति का सिद्धान्त (Principle of World Peace)** :- भारत की विदेश नीति विश्व-शान्ति के सिद्धान्त की प्रबल समर्थक रही है। भारत हमेशा ही अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति कायम रखने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को शान्तिपूर्ण ढंग से सुलझाने का समर्थन करता रहा है। भारत के संविधान में भी नीति निर्देशक सिद्धान्तों में स्पष्ट तौर पर कहा गया है-"भारत अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और क्षेत्र की उन्नति, राष्ट्रों के बीच न्याय और न्यायपूर्ण सम्बन्धों को बनाये रखने तथा अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता व पंच-निर्णय द्वारा निपटाने के लिए प्रयत्न करेगा।" भारत ने विश्व शान्ति को खतरा उत्पन्न होने की हर हालत में सराहनीय कार्य किया है। कश्मीर समस्या को संयुक्त राष्ट्र संघ को सौंपना, राष्ट्रमण्डल की सदस्यता ग्रहण करना, कच्छ के मामले को पंच निर्णय के लिए छोड़ना और पंचाट को मानना इस दिशा में महत्वपूर्ण माना जा सकता है। भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को भी हल करवाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। स्वेज नहर संकट, कोरिया संकट, कश्मीर समस्या, अफगानिस्तान संकट, खाड़ी संकट आदि के समय भारत ने विश्व के सामने मध्यस्थता व पंच निर्णय जैसे शान्तिपूर्ण विकल्प पेश किए। अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति कायम रखने के लिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यवाही के प्रति ही अपनी निष्ठा व्यक्त की है। इसके लिए भारत ने निःशस्त्रीकरण तथा मानव अधिकारों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किए गए प्रयासों को विश्व शान्ति की दिशा में महत्वपूर्ण माना है। विश्व शान्ति का आदर्श आज भी भारत की विदेश नीति का महत्वपूर्ण सिद्धान्त है।

(5) **आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद का सिद्धान्त (Principle of Idealism Vs Realism)** :- भारत की विदेश नीति शान्ति, अहिंसा जैसे आदर्शों से युक्त रही है। आज भी भारत की विदेश नीति पर नेहरु, गांधी, महात्मा बुद्ध जैसे अहिंसावादी व शान्ति के पुजारी विचारकों का स्पष्ट प्रभाव है। नेहरु का पंचशील सिद्धान्त आज भारत की विदेश नीति को आदर्शवाद के सिद्धान्त

के रूप में प्रतिष्ठित करता है। भारत का विश्वशान्ति के प्रति अपनाया गया द ष्टिकोण भारत की विदेश नीति को आदर्शवाद की नीति घोषित करता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि भारत की विदेश नीति कोरी आदर्शवादी है। सत्य तो यह है कि आवश्यकता पड़ने पर भारत ने आदर्शवाद का रास्ता छोड़कर यथार्थवाद का मार्ग भी ग्रहण किया है। इन्दिरा गांधी के शासन काल में भारत की विदेश नीति यथार्थवादी रही है। इसी तरह वाजपेयी युग में भारत की विदेश नीति आदर्शवाद तथा यथार्थवाद दोनों का सुन्दर मिश्रण रही है। 1962 में अमेरिका से सैनिक सहायता लेना भारत की गुटनिरपेक्षता तथा विश्व शान्ति के आदर्श के प्रतिकूल थी। इसी तरह बाद में रूस से सैनिक समझौता करना भारत के आदर्शवाद के विरुद्ध रहा है। इससे स्पष्ट है कि आवश्यकतानुसार भारत की विदेश नीति आदर्शवाद और यथार्थवाद दोनों को बराबर महत्व देती रही है।

(6) **गुजराल सिद्धान्त (The Gujral Doctrine)** :- 1996 में केन्द्र में 13 राजनीतिक दलों की सरकार बनने के बाद 1997 में भारत के प्रधानमन्त्री के रूप में इन्द्रकुमार गुजराल ने शपथ ली। गुजराल जी ने पड़ोसी देशों के साथ मधुर सम्बन्ध स्थापित करने के लिए जो प्रयास किए उन्हें गुजराल सिद्धान्त के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धान्त के तहत 1997 में भारत ने बंगला देश के साथ गंगा जल बंटवारे पर समझौता किया। इसी तरह भारत ने चीन के साथ भी शान्तिपूर्ण सम्बन्ध कायम करने के प्रयास किए। इस सिद्धान्त को व्यावहारिक रूप देने के लिए गुजराल सरकार ने अपने पड़ोसी देशों की जनता को वीजा सम्बन्धी रियायतें प्रदान की। इस सिद्धान्त के तहत भारत ने अमेरिका के साथ भी सम्बन्धों को मधुर बनाने के प्रयास किए। भारत ने अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ मधुर सम्बन्ध कायम करने की दिशा में कई एकतरफा घोषणाएं भी की। इसी सिद्धान्त को आगे वाजपेयी जी ने भी अपनाया।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारत की विदेश नीति विश्व शान्ति, गुटनिरपेक्षता, पंचशील व शान्तिपूर्ण सह अस्तित्व आदि सिद्धान्तों पर आधारित रही है। विदेश नीति के सिद्धान्त के रूप में 1997 में गुजराल सिद्धान्त के रूप में जो महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ा, वह आज भी भारत की विदेश-नीति का महत्वपूर्ण भाग है। वस्तुतः भारत की विदेश नीति आदर्शवाद व यथार्थवाद दोनों का सुन्दर मिश्रण रही है। भारत की विदेश नीति के सिद्धान्तों के रूप में आज भी वे सिद्धान्त महत्वपूर्ण हैं जो हमारे संविधान में वर्णित हैं और बाद में समयानुसार हमारे प्रबुद्ध विदेश नीति निर्माताओं व राजनेताओं द्वारा अपनाए जाते रहे हैं। सरकारें बदलती रही हैं, लेकिन भारत की विदेश नीति के सिद्धान्त स्थिर रहे हैं। भारत की विदेश नीति के आदर्शों के रूप में अपनाए गए सिद्धान्त आज भी भारत की विदेश नीति की महान विरासत है।

भारत की विदेश नीति के निहितार्थ

(Implications of India's Foreign Policy)

भारत की विदेश नीति के प्रमुख निहितार्थ या बातें निम्नलिखित हैं :-

(1) भारत की विदेश नीति असंलग्नता या गुटनिरपेक्षता की नीति है।

(2) भारत की विदेश नीति राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देती है।

(3) भारत की विदेश नीति सोवियत संघ तथा अरब राष्ट्रों की समर्थक है।

(4) यह अमेरिका व ब्रिटेन के साथ-साथ अन्य यूरोपीय राष्ट्रों से भी मधुर सम्बन्ध बनाए रखने की पक्षधर है।

(5) भारत की विदेश नीति सैनिक गुटबन्दी की विरोधी है।

(6) यह साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद तथा रंगभेद के किसी भी रूप का प्रबल विरोध करती है।

(7) यह निःशस्त्रीकरण के सार्वभौमिक व पक्षपातपूर्ण कार्यक्रमों की समर्थक है।

(8) यह उत्तर-दक्षिण संवाद तथा उत्तर-उत्तर सहयोग की समर्थक है।

(9) यह संयुक्त राष्ट्र संघ तथा मानवाधिकारों की रक्षा करने वाली अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं का पक्ष लेती है।

(10) यह एफ्रो-एशियाई एकता की समर्थक है।

(11) यह पड़ोसी देशों के साथ मधुर व सौहार्दपूर्ण सम्बन्धों पर जोर देती है। गुजराल सिद्धान्त इसका प्रमुख आधार है।

(12) यह विश्व शान्ति के किसी भी प्रयास का प्रबल समर्थन करती है।

(13) यह नेहरु जी के पंचशील और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के सिद्धान्त में विश्वास करती है और उसे ही आधार रूप में अपनाए हुए है। इसी कारण कुछ आलोचक भारत की विदेश नीति को नेहरु की नीति कहते हैं।

(14) यह विश्व में मानवाधिकारों को ईमानदारी के साथ लागू करने की बात का समर्थन लेती है।

(15) यह नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था (NIEO) की समर्थक है और अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्बन्धों की भेदभावपूर्ण व्यवस्था को समाप्त करना चाहती है। इसीलिए यह विश्व व्यापार संगठन (WTO) के भेदभावपूर्ण ढांचे व कार्यप्रणाली की निन्दा करती है।

(16) यह क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग को बढ़ाने की इच्छुक है और ASEAN के माध्यम से इस कार्य को पूरा करना चाहती है।

भारत की विदेश नीति के उपकरण

(Instruments of India's Foreign Policy)

किसी भी देश की विदेश नीति का क्रियान्वयन करने के लिए कुछ उपकरणों या साधनों की आवश्यकता होती है। विदेश नीति के उपकरण ही अमुक देश की विदेश नीति के उद्देयों को प्राप्त करने में मदद करते हैं। ये उपकरण ही अमुक देश की विदेश नीति के निर्माण या निर्धारण में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। भारत की विदेश नीति का निर्धारण व क्रियान्वयन जिन उपकरणों के द्वारा होता है, वे निम्नलिखित हैं :-

(1) **सन्धिवार्ता व सन्धि** :- भारत अपने अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को हल करने के लिए सन्धि वार्ताएं करता है। 1965, 1971 तथा 1999 में पाकिस्तान के साथ किए गए युद्ध-समझौते भारत की विदेश नीति का ही एक भाग हैं। पाकिस्तान के साथ भारत के सम्बन्धों का संचालन आज भी शिमला समझौते तथा लाहौर घोषणापत्र के रूप में होता है। भारत विश्व के अन्य देशों से भी सन्धिवार्ताएं जारी रखे हुए है और कई मामलों पर उसने विदेशी राष्ट्रों से सन्धियां व समझौते किए हैं।

(2) **अन्तर्राष्ट्रीय संगठन** :- भारत की विदेश नीति जिस अन्तर्राष्ट्रीय संगठन से संचालित व प्रभावित होती है, उनमें UNO प्रमुख है। इसके अतिरिक्त वह विश्व स्वास्थ्य संगठन, WTO, IMF, UNESCO, UNICEF आदि से भी प्रभावित होती है। भारत विश्व शान्ति व सम द्धि के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों का पूरा सम्मान करता है।

(3) **क्षेत्रीय सहयोग संगठन** :- भारत की विदेश नीति का निर्धारण व क्रियान्वयन उसकी सदस्यता वाले क्षेत्रीय सहयोग संगठनों से भी होता है। इसमें SAARC (दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन) आशियन तथा 'हिन्द महासागर रिम' क्षेत्रीय संगठन प्रमुख हैं।

(4) **युद्ध** :- भारत ने आवश्यकता पड़ने पर पाकिस्तान तथा चीन के साथ युद्ध भी करने पड़े हैं ताकि उसकी स्वतन्त्र विदेश नीति पर कोई आंच न आए। कारगिल की लड़ाई व 13 सितम्बर 2002 को भारत की संसद पर हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत द्वारा सीमाओं पर फौज की तैनाती व युद्ध के लिए तैयार रहना उसकी विदेश नीति के आदर्शों की रक्षा करने के लिए ही एक प्रयास था।

(5) भारत अपनी विदेश नीति का संचालन कूटनीतिक अधिकारियों के माध्यम से करता है। विदेशों में भारत के दूत हैं जो उसकी विदेश नीति का क्रियान्वयन करते हैं और इसी आधार पर भारत की विदेश नीति में बदलाव भी आते रहते हैं। कूटनीतिक सम्बन्धों के आधार पर ही यह फैसला किया जाता है कि किस देश के साथ कैसी नीति अपनानी है।

(6) **गुप्तचर विभाग** :- भारत में उसकी विदेश नीति के उपकरण के रूप में एक गुप्तचर विभाग भी कार्य करता है। यह विभाग विदेशों में भारत के प्रति अपनाई जा रही नीतियों व राजनयिक व्यवहार की पूर्ण जानकारी सरकार को देता है जिसके आधार पर ही भारत अपनी विदेश नीति में परिवर्तन लाता है और उसे नए ढंग से क्रियान्वित करता है। हाल ही में पाकिस्तान के साथ सम्बन्धों को मधुर बनाने की कवायद इसी के द ष्टिगत की गई है कि अब पाकिस्तान का द ष्टिकोण भारत के प्रति कुछ उदार है।

अतः निष्कर्ष तौर पर कहा जा सकता है कि भारत की विदेश नीति का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय हित की रक्षा व उसकी प्राप्ति करना है। इसके लिए वह विदेशों में राजनीतिक अधिकारी नियुक्त करती है, अन्तर्राष्ट्रीय व क्षेत्रीय संगठनों का सम्मान करती है और अन्तर्राष्ट्रीय पटल पर कूटनीतिक वार्ताएं जारी रखकर अपने निहित उद्देश्यों को प्राप्त करती है।